जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनाँक 15.02.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त मिनाज पुत्र नियाज अमहद निवासी ग्राम मोमिनपुर लाल कुबंर उर्फ नयागांव थाना नहटौर बिजनौर को एक सट्टा पर्चा, पैन व 320/- रूपये की नगदी व अभियुक्त जुबैर अहमद पुत्र सलाउद्दीन नि0 ग्राम मोमिनपुर लाल कुबंर उर्फ नयागांव थाना नहटौर जनपद बिजनौर को एक सट्टा पर्चा, 260/- रूपये की नगदी आदि सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 52/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम बनाम जुबैर उपरोक्त व मु0अ0सं0 53/2024 धारा 13 जुआ अधि0 बनाम मिनाज पुत्र नियाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.मिनाज पुत्र नियाज अमहद निवासी ग्राम मोमिनपुर लाल कुंबर उर्फ नयागांव थाना नहटौर बिजनौर।

2.जुबैर अहमद पुत्र सलाउद्दीन नि0 ग्राम मोमिनपुर लाल कुंबर उर्फ नयागांव थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

1.एक सट्टा पर्चा, पैन व 260/- रूपये की नगदी आदि (अभियुक्त जुबैर से बरामद)।

2.एक सट्टा पर्चा, पैन व 320/- रूपये की नगदी आदि (अभियुक्त मिनाज से बरामद)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 1276 राहुल यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2. का0 1345 विक्रांत थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 312 किशन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
4. का0 1858 किशन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनाँक 15.02.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाकिब पुत्र लियाकत निवासी मौ0 कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शाकिब पुत्र लियाकत निवासी मौ0 कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास उर्फ भोला उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 452/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 525/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 645/2018 धारा 420/413 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 646/2018 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री कृपाल सिहं थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 524 विपिन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 137 असकर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 15.02.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.02.2024 को वादी श्री रोहित कुमार पुत्र धीरेन्द्र निवासी ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण अर्जुन पुत्र भगवानदास व भगवानदास पुत्र गोविन्दा निवासीगण ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के परिजन सोनू पुत्र हरकेश सिंह के साथ गाली-गलौच की गयी तथा जान से मारने की नीयत से धारधार हथियार वार कर सोनू को घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/504 भादवि बनाम भगवानदास आदि कुल 02 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के अपराध की रोकथाम एंव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अर्जुन पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अर्जुन पुत्र भगवानदास निवासी मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.कां0 2089 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.कां0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली **दिनांक – 15.02.2024**

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 22/24 धारा 457/380 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी नगदी व सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.02.2024 को वादी श्री महबूब अहमद पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम औरंगपुर बसंता उर्फ कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि दिनांक 13/14.02.2024 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की परचून की दुकान का ताला तोडकर दुकान से 15,00 /- रुपये की नगदी व करीब 3,000 /- रुपये का परचून का सामान चोरी कर लिया। तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में सैन्की पुत्र मुकेश निवासी ग्राम औरंगपुर बसन्ता उर्फ कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी के अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त सैन्की पुत्र मुकेश निवासी ग्राम औरंगपुर बसन्ता उर्फ कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को चोरी की गयी नगदी व परचून के सामान सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सैन्की पुत्र मुकेश निवासी ग्राम औरंगपुर बसन्ता उर्फ कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर

बरामदगी –

15,00 /- रुपये नगद व करीब 3,000 /- रुपये का परचून का सामान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री लखनलाल सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री हरिओम गौतम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

3.कां0 349 जयबीर सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

4.कां0 1380 इमरान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

5.कां0 2432 दीपक कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 15.02.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अशफाक पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अशफाक पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 1872 हेमन्त चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1879 हिमांशु भडाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 15.02.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 363/366ए/376/376डी(ए)/342/120 बी भादवि व धारा 4/6 पॉक्सो अधिनियम संबंधित 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व कुल 1,12,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2022 को थाना नूरपुर क्षेत्र के वादी द्वारा थाना नूरपुर पर शादाब पुत्र महताब निवासी ग्राम आजमपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 298/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में सैफ अली व शानू पुत्रगण जावेद उर्फ नन्हू निवासीगण ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर व फरमान पुत्र मकसूद निवासी मौहल्ला नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर आदि का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 366ए/376/376डी(ए)/342/120बी भादवि व धारा 4/6 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 298/22 धारा 363/366ए/376/376डी(ए)/342/120बी भादवि व धारा 4/6 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों 1- शादाब पुत्र महताब निवासी ग्राम आजमपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- सैफ अली 3- शानू पुत्रगण जावेद उर्फ नन्हू निवासीगण ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर 4- फरमान पुत्र मकसूद निवासी मौहल्ला नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 01 लाख 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड राशि 01 लाख 12 हजार रुपये में से 01 लाख 06 हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होगे।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

<u>दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-</u>

1- शादाब पुत्र महताब निवासी ग्राम आजमपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- सैफ अली पुत्र जावेद उर्फ नन्हू निवासी ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3- शानू पुत्र जावेद उर्फ नन्हू निवासी ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर।

4- फरमान पुत्र मकसूद निवासी मौहल्ला नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर　　　　**दिनांकः- 15.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दहेज मृत्यु से संबंधित 03 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 15.11.2007 को वादी श्री रमेशचन्द्र बरनवाल पुत्र स्व0 प्रेमनाथ निवासी मौ0 बढैयावीर थाना कोतवाली सुल्तानपुर उ0प्र0 द्वारा अभियुक्तगण 1- प्रवेश कुमार पुत्र स्व0 सत्यमित्र 2- नीलम पत्नी स्व0 सत्यमित्र 3- पियूष पुत्री सत्यमित्र निवासीगण मौ0 जयनगर कालोनी जलालाबाद कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के विरुद्ध अपनी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व जहर देने पर उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0 2103/07 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 2103/07 धारा 498ए/304बी भादवि व 04 दहेज अधिनियम से संबंधित अभियुक्तगण 1- श्रीमती पियूष पुत्री सत्यमित्र आर्य 2- श्रीमती नीलम पत्नी सत्यमित्र आर्य 3- प्रवेश कुमार पुत्र सत्यमित्र आर्य निवासीगण मौ0 जयनगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- पियूष पुत्री सत्यमित्र आर्य नि0 मौहल्ला जयनगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2- नीलम पत्नी सत्यमित्र आर्य नि0 मौहल्ला जयनगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3- प्रवेश कुमार पुत्र सत्यमित्र आर्य नि0 मौहल्ला जयनगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 15.02.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के साथ छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 21.07.2019 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर अभियुक्त मौ0 आमिर अंसारी पुत्र इफ्तिखार अंसारी निवासी लालनगर बजरया थाना सदर बाजार जनपद शहाजहांपुर के विरुद्ध वादिनी के साथ छेडखानी करने तथा फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 707/19 धारा 354(घ)/506 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे – IV जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 707/19 धारा 354घ/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त मौ0 आमिर अंसारी पुत्र इफ्तिखार अंसारी निवासी लालनगर बजरया थाना सदर बाजार जनपद शहाजहांपुर के 07 वर्ष के कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- मौ0 आमिर अंसारी पुत्र इफ्तिखार अंसारी निवासी मौहल्ला लालनगर बजरया थाना सदर बाजार जनपद शहाजहांपुर